UPSB010024012026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन–राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1055/2026

प्रिन्स त्रिपाठी उर्फ राजा उम्र 22 वर्ष पुत्र राकेश त्रिपाठी, निवासी–बहुआर, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त **प्रिन्स त्रिपाठी उर्फ राजा** के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष पाठक एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थी **प्रिन्स त्रिपाठी उर्फ राजा,** मुकदमा अपराध संख्या–355/2026, अं.धारा–305(ए), 317(2), 329(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्त है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि उसने इस न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उसने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, न ही निस्तारित ही किया गया है और न ही विचाराधीन है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर गलत एवं असत्य है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया कि मुकदमा उक्त में उसको थाना इलाका द्वारा गलत एवं फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। मुकदमा वादी द्वारा महज साजिश के तहत पारिवारिक रंजिश को आधार बनाकर अभियुक्त बनाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा चोरी की गयी जिन–जिन वस्तुओं का विवरण अपने प्राथमिकी में दर्शित किया गया है उससे पूर्णतया भिन्न थाना इलाका द्वारा बरामद की गयी वस्तुओं का होना पाया गया है जो पूर्ण रूप से किसी न किसी साजिश को इंगित करता है। उसको गलत तरीके से वादी के प्रभाव में पूर्व पारिवारिक रंजिश व पूर्व में चले सिविल/राजस्व विवादों में मिली हार का प्रतिशोध लेने की गरज से झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों को आधार बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराकर अभियुक्त बना दिया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, न ही कभी किसी मुकदमें में वांछित ही रहा है। वह दिनांक 05.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह निर्दोष है। वह जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त नामजद अभियुक्त है तथा मामले में अभी बरामदगी शेष है तथा अभी विवेचना प्रचलित है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

...2

6. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बिजेश्वर तिवारी पुत्र स्व0 नवल किशोर तिवारी ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की तहरीर दिया कि घटना दिनांक 30.04.2026 की रात करीब 4.00 बजे भोर की है। जब वह घर में खट—खट की आवाज सुना तो वह जग गया और बल्ब की रोशनी में देखा तो राकेश त्रिपाठी पुत्र स्व0 रामअवध त्रिपाठी व उनका लड़का प्रिंश त्रिपाठी उर्फ राजा त्रिपाठी पुत्र राकेश त्रिपाठी घर में रखा बक्सा का ताला तोड़कर निम्नलिखित सामान उठाकर भाग गये। उनके साथ अन्य लोग भी थे, जिनको वह अंधेरे की वजह से नहीं पहचान पाया भागते समय राकेश त्रिपाठी व प्रिंश त्रिपाठी उर्फ राजा त्रिपाठी को शोर करता हुआ पीछा किया, किन्तु वृद्ध होने के कारण पकड़ नहीं पाया और सामान लेकर चोर भाग गये। जब वह घर वापस लौटकर आया तो देखा कि निम्नलिखित सामान चोरी हुआ है। विपक्षीगण पूर्व में भी कई बार उसके घर में घुसकर चोरी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत उसने कई बार थाना कोतवाली राबर्ट्सगंज में दिया, किन्तु थाना कोतवाली राबर्ट्सगंज द्वारा विपक्षीगणों पर कोई भी कार्यवाही न होने पर विपक्षीगण का काफी मनोबल बढ़ गया है, जिस कारण विपक्षीगण आये दिन निडर होकर घटना को कारित कर रहे हैं। उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा वादी के घर में रखा बक्सा का ताला तोड़कर सामान चुरा ले गये तथा चोरी का सामान उनके कब्जे से बरामद होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत हुआ है।इस स्तर पर बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक—05.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी का इस मामलें के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अतः मामलें के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण—दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं पाता हूँ कि प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रिन्स त्रिपाठी उर्फ राजा** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या—355/2026, अं.धारा—305(ए), 317(2), 329(2) भारतीय न्याय संहिता,थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से रु0 50,000/— का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय स्थानीय ज़मानतें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि अनुसार दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाय—

1. प्रार्थी/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा—351 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देगा कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा एवं जो अभियोग प्रार्थी पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश नहीं छोड़ेगा।
6. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्घ विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक 03.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र